<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 7/3/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 28 मार्च, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला सं. एडी (एमटीआर)-01/2024

विषय: थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत।

1. मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. श्याम सेल एंड पॉवर लिमिटेड, मै. श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रोकॉस्ट प्रा. लिमि., मै. रविराज फ़ॉयल्स लिमि., मै. जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि. और मै. एल एस के बी एल्युमीनियम फॉयल्स प्रा. लिमि. (जिन्हें यहां इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने थाईलैंड (जिसे यहां "संबद्ध" देश भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक मध्यवर्ती समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के अनुसरण में, भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है, के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवदेकों ने निवेदन किया है कि थाईलैंड से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क का पुनः मूल्यांकन किए जाने और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फाइल संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2021 के अनुसार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन से "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे अधिसूचना सं. 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू किया गया था। आवेदकों ने थाईलैंड से निर्यातकों/ उत्पादकों के संबंध में अधिसूचना सं. 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. वर्तमान जांच के एक मध्यवर्ती समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसा कि पिछली जांच में था। विचाराधीन उत्पाद पिछली जांच में निम्नानुसार है:

"18. एल्युमीनियम फॉयल चाहे वह प्रिंटिड हो अथवा नहीं अथवा पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन अथवा उससे कम मोटाई के समान पैकिंग सामग्री से समर्थित हो अथवा नहीं (अनुमेय सहनशीलता के साथ)" है, इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. *चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन की रेंज वाली मोटाई के एल्युमीनियम फॉयल*
ii. *अलू-अलू लेमिनेट*
iii. *अल्ट्रा लाइट गॉज कन्वर्टिड*
iv. *एल्युमीनियम फॉयल कम्पोजिट*
v. *500 मि.मि. से कम की चौड़ाई वाले कैपेसीटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉयल*
vi. *उत्कीर्ण अथवा बनाए गए एल्युमीनियम फॉयल*
vii. *एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल*
viii. *अनुकूल गैर-क्लाड एल्युमीनियम फॉयल सहित क्लैड*
ix. *बियर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल*
x. *एल्युमीनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/ अथवा क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे वह क्लैड हो अथवा नहीं*
xi. *एधेसिव टेप*

xii. कलर कोटिड एल्युमीनियम फॉयल

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 7607 के तहत वर्गीकृत है। संबद्ध वस्तुओं के आयात निम्नलिखित कोड 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के तहत भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. प्राधिकारी ने पिछली आयोजित जांच में एक पीसीएन का प्रयोग किया था। आवेदकों ने दायर आवेदन में समान पीसीएन का अनुसरण किया है। तथापि, प्रस्तावित पीसीएन की उपयुक्तता पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:

क्र. सं.	फॉयल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर/ परिवर्तित
1	अलू-अलू स्टॉक	45-60	बेयर फॉयल
2	हाउस फॉयल	9-18	बेयर फॉयल
3	लाइट गॉज (एलजी)	7-18	बेयर फॉयल
4	मीडियम गॉज (एमजी)	20-60	बेयर फॉयल
5	सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)	33-80	बेयर फॉयल
6	अल्ट्रा-लाइट गॉज बेयर	5.5- <7	बेयर फॉयल
7	अल्ट्रा-लाइट गॉज बेयर	5.5 से कम	बेयर फॉयल
8	सिगरेट फॉयल	7 माइक्रोन से कम	बेयर फॉयल
9	एसआरसी परिवर्तित	33-80	परिवर्तित
10	मीडियम गॉज (एमजी) परिवर्तित	20-60	परिवर्तित
11	होम फॉयल परिवर्तित	9-18	परिवर्तित
12	लाइट गॉज (एलजी) परिवर्तित	7-18	परिवर्तित

7. वर्तमान जांच से संबंधित पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

8. वेदकों ने कहा है कि आवेदको द्वारा उत्पादित वस्तु और थाईलैंड से निर्यातित वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं है। आवेदकों द्वारा उतपादित वस्तु और थाईलैंड से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ एक-दूसरे के तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को थाईलैंड से आयात की जा रही वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. <u>घरेलू उद्योग एवं स्थिति</u>

9. आवेदन मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. श्याम सेल एंड पॉवर लिमिटेड, मै. श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रोकॉस्ट प्रा. लिमि., मै. रविराज फ़ॉयल्स लिमि., मै. जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि. और मै. एल एस के बी एल्युमीनियम फॉयल्स प्रा. लिमि., की ओर से भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में दायर किया गया है। आवेदन का निम्नलिखित उत्पादकों अर्थात ईएसएस- डीईई एल्युमीनियम लिमि., स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि., एसआरएफ अल्टेक लिमि. और ट्रीफॉयल पैकेजिंग प्रा. लिमि. द्वारा समर्थन किया गया है।

10. स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. संबद्ध वस्तुओं का एक नया उत्पादक है, ईएसएस डीईई एल्युमीनियम, एसआरएफ आल्टेक लिमि. और ट्रीफॉयल पैकेजिंग प्रा. लिमि. नई उत्पादन क्षमताओं को स्थापित कर रहे हैं और अभी उत्पादन आरंभ किया जाना है।

11. एलएसकेबी एल्युमीनियम फॉयल प्रा. लिमि., हिंदालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रविराज फॉयल्स लिमि., मै. श्याम सेल एंड पॉवर लिमिटेड और श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रो कास्ट प्रा. लिमि. ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। हालांकि, जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमि. ने चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

12. घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख समानुपात स्थापित करता है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग स्थापित होता है।

ङ. संबद्ध देश

13. वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा का दायरा थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तक सीमित है।

च. जांच की अवधि (पीओआई)

14. आवेदकों ने जांच की अवधि (जिसे यहां "पीओआई" भी कहा गया है) के रूप में अक्तूबर, 2022- सितंबर, 2023 (12 महीने) को प्रस्तावित किया है। क्षति सूचना पीओआई और तीन पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात अप्रैल, 2019- मार्च, 2020, अप्रैल 2020- मार्च, 2021, अप्रैल 2021- सितंबर, 2022 (वार्षिकीकृत) और पीओआई के लिए उपलब्ध कराई गई है।

छ. समीक्षा का आधार

15. आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से थाईलैंड के निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता है:

    क. पिछली जांच और वर्तमान अवधि के बीच निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पाद प्रोफाइल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है।

    ख. यह कि कच्चे माल के कारण लागतों में वृद्धि हुई है जो कि निर्यात कीमत में वृद्धि में अनुपातिक रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

    ग. सामान्य मूल्य में परिवर्तन तथा साथ ही निर्यात कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बिना पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है।

    घ. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि एनआईपी और पहुंच मूल्य में परिवर्तन के कारण क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

16. इसलिए, आवेदकों ने दावा किया कि लागू किए गए पाटन रोधी शुल्कों में वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

ज. जांच शुरुआत

17. भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादको द्वारा विधिवत रूप से सांक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और स्वयं संतुष्ट होने पर, थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पहले लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा के लिए प्रमाणित करने वाले *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में प्राधिकारी, एतदद्वारा, थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं पर पहले लागू किए गए पाटन रोधी शुल्क की मात्रा को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

18. समीक्षा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तक सीमित होगी और शुल्कों की मात्रा अंतिम जांच परिणाम एफ संख्या 6/21/2020- डीजीटीआर दिनांक 18 जून, 2021 और अधिसूचना सं. 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू की गई है।

19. ऊपर दिए गए नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध, इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना देने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, **1995** और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से वर्तमान मध्यावधि जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सूचना भेजे जाने की तारीख से या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जाच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर और घरेलू उद्योग के आवेदन संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और यह सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में होनी चाहिए।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि और एडी नियमाली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

33. अन्य हितबद्ध पक्षकार इस दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

34. प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

35. प्राधिकरण, संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ङ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रस्तुतीकरण/प्रतिक्रिया/जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी